SDO

24/1 [illegible] अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को [illegible] हेतु दोनों पक्ष सहमत अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता पक्षकारान प्रा. प. जैतपुर पर दिनांक 21/10/4 को पेश हो

21/1 फर्दावली [illegible] लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारान उप./[illegible]/अधिवक्ता उभयपक्ष उप./अनु.। पक्षकारान से [illegible] परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः फर्दावली स्थानीय न्यायालय में आईन्दा दिनांक 27/01/22 को पेश हो।

रामजीत

27/01/22 पत्रावली आज पेश हुई। वादिका एवं वादीगण वकील उपस्थित। वादीगण द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः वाद पत्र सहित विहित खारिज [illegible] गया। प्रार्थना पत्र वाद विहित [illegible] किया जाता है। वाद- [illegible] विहित खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में [illegible] होकर हल्का नस्थित [illegible] हो।

आरिफ हुसैन

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:23:02 IST
Reason: SelfAttested